लोक निर्माण विभाग

UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड सरकार

वृत्त – 8 वाँ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी

खण्ड का नाम – निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर

––वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव––

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने के प्रपत्र/प्रमाण पत्र।

कार्य का नाम– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

मार्ग की लम्बाई– 2.00 किमी0

1. आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल – 1.295 हे0 (लम्बाई 1850.00 मीटर)
2. सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल– 0.000 हे0 (लम्बाई 000.00 मी0)
3. नाम भूमि का क्षेत्रफल – 0.105 हे0 (लम्बाई 150.00 मीटर)

INDEX

क0सं0	प्रपत्र	प्रारूप संख्या (एस0ओ0 पी0 के अनुसार)	पृष्ठ संख्या से	पृष्ठ संख्या तक
--	मुख पृष्ठ	---	1	1
--	विषय सूची	---	2	3
1.5	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	प्रतिवेदन	4	4
1.1	ऑन–लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण पत्र।	1	5	5
2.44	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–1	2	6	6
2.45	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–2	3	7	7
2.46	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–3	4	8	8
2.2	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	5	10	13
2.3	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट। (प्रयोक्ता एजेन्सी तथा वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ)।	6	14	15
2.47	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट	7	16	16
1.2	सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोशीट मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण वन क्षेत्र को दर्शाया गया हो।	8	17	18
1.3	मैप जिसमें टोपोशीट पर प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 के साथ दिखाया गया हो।	9	19	19
1.4	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो। (kml file)	10	20	21
2.1	प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता	11	22	22
2.4	वैकल्पिक संरेखणों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्त किये जाने का औचित्य एवं कारण।	12,13	23	24
2.5	जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	14	27	27
2.6	प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल	15		
2.7	परियोजना की लम्बाई चौड़ाई तथा कुल क्षेत्र हे0 में भूमि विभिन्न वर्गवार आरक्षित, निजि वन, वन पंचायत, नीजि भूमि, आदि।	16		
2.8	परियोजना का भूमि उपयोग का बार–चार्ट।	17		
2.27	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण–पत्र।	18		
2.15	परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं उनके वैज्ञानिक नाम। (सूची आरक्षित वन क्षत्र, सिविल, वन पंचायत, एवं निजी भूमि दोनों अलग–अलग बनायी जानी होगी)।	19		
-	परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यॉकन	20		
-	परियोजना क्षेत्र मे विद्यमान वृक्षों मे से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	21		
2.16	बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षक की संस्तुति का प्रमाण–पत्र।	22		
2.17	अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र।	23		
2.18	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	24		
2.20	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	25		
2.21	यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी0 की परिधि में आता है तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र	26		
2.22	यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है तो ऐसे प्रकरणों में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, भारतीय वन्य जीव परिषद एवं मा0 उच्चतम न्यायालय की अनुमति ।	27	लागू नही	
2.24	आम–सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	28		
1.11	विस्तृत लागत–लाभ विशलेषण प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)।	29		

1.6	जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन अधिकार अधिनियम, 2006 का प्रमाण–पत्र मय संलग्नकों के (नये प्रारूप में)।	30		
-	जिलाधिकारी द्वारा अधिकार अधिनियम की बैठक का पत्र	30.1		
-	उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन अधिकार अधिनियम, 2006 का प्रमाण–पत्र	30.2		
-	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र	30.3		
-	मदवार विवरण (केवल जल विद्युत परियोजनाओं के लिये लागू)	31	लागू नही	
-	ले आउट प्लान (भवन निर्माण / जल विद्युत परियोजनाओं के लिये लागू	32	लागू नही	
2.28	भू–वैज्ञानिक की आख्या।	33		
2.31	टास्क–फोस एवं भू–वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	34		
2.29	टास्क–फोर्स रिपोर्ट।	35		
2.30	मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	36		
2.32	धार्मिक / पौराणिक / एतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण–पत्र।	37		
2.33	वन्य जीव / वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण–पत्र।	38		
2.34	परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी का तैल एवं रसोई गैस का प्रमाण–पत्र।	39		
2.35	लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र	40		
2.38	वन भूमि के लीज रेंट का प्रमाण–पत्र।	41		
2.9	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना सिविल भूमि पर (10 वर्षीय दरों पर)।	42		
2.11	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण को वहन किये जाने का प्रमाण–पत्र। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	42.1		
2.10	क्षतिपूरक वृक्षारोपण वन स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा)।	43		
1.7	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थान को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	44		
1.8	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	45		
2.12	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	46		
2.13	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	46.1		
1.9	यदि प्रस्तावित कार्य हेतु गैर वन भूमि अथवा राजस्व वन भूमि की आवश्यकता हो तो भूमि धर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण–पत्र।	47		
1.10	भूमिधर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के बीच हुए करार (PDF).	48		
2.19	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना।	49		
2.36	एन0पी0वी0 की देयता का प्रमाण–पत्र।	50		
2.37	मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि की देयता का प्रमाण–पत्र।	51		
2.40	आर0सी0सी0 पिलरों के सीमांकन का प्राक्लन	52		
2.41	आर0सी0सी0 पिलरों के व्यय को वहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र	52.1		
2.39	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र।	53	लागू नही	
2.23	वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण–पत्र।	54		
2.14	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र। (1 हे0 से कम में लागू।)	---	लागू नही	
2.25	प्रस्तावित परियोजना का ले–आउट प्लान एवं प्रांकल्लन तथा सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मय नाम एवं पद के साथ।	---	लागू नही	
2.26	अवयव के अनुसार Component wise निर्माणाधीन कार्यों का विवरण। (यदि लागू हो तो)।	---	लागू नही	
2.42	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्या सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र। (अगर लागू हो)।	---	लागू नही	
2.43	चैक लिस्ट / फैक्ट शीट / अन्य विवरण	---		

प्रतिवेदन

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु शासनादेश संख्या 7326/111–(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–VI दिनांक 31 दिसम्बर 2010 द्वारा 2.00 कि0मी0 लम्बाई के लिए रु0 25.20 लाख मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है।

इस मार्ग हेतु पूर्व मे छोटी बेरनी–अमसारी हल्का वाहन मार्ग, जो कि अब मोटर मार्ग मे परिवर्तित हो गया है, के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ कर गंगसार गॉव को 1.250 किमी0 मे जोडते हुये हाडीसेरा गंगसार गॉव मार्ग पर मिलाने हेतु प्रस्तावित किया गया था, किन्तु भारत सरकार के द्वारा इस संरेखण पर ग्राम हाडीसेरा प्रत्यक्ष रूप से न जुड़ने के कारण वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत नही किये गये जिस कारण इस मार्ग को निर्मित करने हेतु पुनः दिनांक 22.06.2016 को वन विभाग/राजस्व विभाग के साथ स्थल का संयुक्त निरीक्षण कर एक अन्य संरेखण प्रस्तावित किया गया है जो कि छोटी बेरनी–अमसारी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होता है तथा हाडीसेरा गॉव को 2.00 किमी0 मे जोड़ता है। मार्ग का यह संरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8वॉ वृत्त लोक निर्माण विभाग नई टिहरी के पत्रांक 5081/415सी–8/2016 दिनांक 09.08.2016 के द्वारा स्वीकृत है। इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रारम्भिक 550 मीटर लम्बाई मे आरक्षित वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.385 हे0 एवं उसके उपरान्त 150 मीटर लम्बाई मे नाप भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.105 हे0 तथा अन्तिम 1300 मीटर लम्बाई मे आाक्षित वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.910 हे0 है, इस प्रकार कुल 1.295 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण की आवश्यकता है।

इस मार्ग के नव निर्माण से क्षेत्र के समुचित विकास के साथ–साथ स्थानीय जनता लाभान्वित होगी तथा ग्राम हाडीसेरा गॉव को यातायात की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। मार्ग निर्माण हेतु उक्त प्रस्तावित वन भूमि लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित की जानी आवश्यक एवं न्यूनतम है।

इस मार्ग का संयुक्त निरीक्षण 7.00 मीटर चौड़ाई में पेड़ों की गिनती के साथ प्रस्तुत किया गया, जिसमे कुल **245** वृक्ष आ रहे हैं। इस परियोजना मे बॉज प्रजाति के कोई भी वृक्ष प्रभावित नही हो रहे है। (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।) प्रस्ताव में वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु मार्ग की चौड़ाई 7.00 मीटर ली गयी है। मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची निम्न प्रकार है–

क0सं0	ग्राम	कोड	आवादी
1	हाडीसेरा	00433900	166
		योग :–	**166**

मार्ग पर पड़ने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है। –

1. आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल – 1.295 हे0 (लम्बाई 1850.00 मीटर)
2. सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल– 0.000 हे0 (लम्बाई 000.00 मी0)
3. नाम भूमि का क्षेत्रफल – 0.105 हे0 (लम्बाई 150.00 मीटर)

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर।

प्रारुप–1

ऑन–लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण पत्र।

Mr. **M.S. Negi Assistant Engineer** son of **Late Shri C.S. Negi** is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding **Gaja Section** of the **Construction Division PWD Narendra Nagar** (agency name) on the Goverment of India portal **www.forestclearance.nic.in** on behalf of the **Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Narendra Nagar.**

Executive Engineer
Construction Division,P.W.D.
Narendra Nagar

Executive Engineer
C.D., P.W.D. Narendra Nagar

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	**जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।**
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
ग) परियोजना की लागत।	रू0 **25.20** लाख
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	वनक्षेत्र में प्रस्तावित संरेखण के अतिरिक्त अन्य विकल्प न होने के कारण।
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने लिए)	लागू नही।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	2000 मानव दिवस
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	आरक्षित वनभूमि **1.295** हे0। सिविल सोयम भूमि **0.00** हे0। नाप भूमि **0.105** हे0
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विववरण, यदि कोई है	परियोजना के कारण लोगों को हटाने की आवश्यकता नही है।
क) परिवारों की संख्या	–शून्य––
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	–शून्य––
ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	–शून्य––
4.क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही)	नहीं।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	स्वीकार्य प्रमाण पत्र संलग्न। बचनबद्धता संलग्न।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावजेजों का ब्यौरा।	पृष्ठ संख्या– 3 पर संलग्न विषयक सूची के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न।

दिनांक .... स्थान नरेन्द्रनगर।

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
नरेन्द्रनगर

प्रारुप–3

भाग–2
(संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति – जनपद टिहरी गढ़वाल, विधानसभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर।

(i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र – उत्तराखण्ड।

(ii) जिला – टिहरी गढ़वाल।

(iii) जिला वन प्रभाग – शिवपुरी वन प्रभाग।

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र – **1.295 हे0**

2. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः *आरक्षित वनभूमि।*

3. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः

(i) वन का प्रकार– *आरक्षित।*

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व– *0.30*

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना– *संलग्न*

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा – संलग्न है

4. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी संलग्न है

5. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : लगभग 600 मी

6. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : कोई नही

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : संलग्न है

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नही

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)– *नहीं।*

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)– *नही।*

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे– *कोई नही।*

7. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)

8. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। – *अपरिहार्य एवं न्यून।*

(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

9. **किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे** :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां / नहीं)– *नही।*

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही– *नही।*

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां / नहीं)– *लागू नही।*

10. **क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :**

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। – *संलग्न है।*

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। – *संलग्न है।*

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।– *संलग्न है।*

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां / नहीं)। *–हॉ।*

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : 5.96482

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां / नहीं)। *–हॉ।*

11. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)।*–हॉ।*

12. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें।

भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

स्थानः मुनिकीरेती तारीखः 25/01/2017   हस्ताक्षर   नाम: प्रभागीय वनाधिकारी / शासकीय मुहर नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि-की-रेती

प्रारुप–4

भाग–3

13. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां / नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय।

14. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।

15. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें।

स्थानः तारीखः हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा

प्रारुप–5

परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति

(35) (11)

संख्या-7326 /III(2)/10-18(प्रा०आ०)/[illegible]

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 31 दिसम्बर [illegible]

विषय: राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न 24 कार्यों के [illegible] प्रशासकीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र/कुमायूं क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग [illegible] द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणनों के सम्बन्ध में [illegible] हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र/कुमायूं क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग [illegible] तदनुसार 24 विभिन्न कार्यों के निर्माण पर प्रशासकीय अनुमोदन देते हुए प्रथम [illegible] कार्यों यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू-अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग [illegible] टेक्निकल की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि मदों के लिये टी०ए०सी० वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण [illegible] ₹ 378.63 लाख (₹ तीन करोड़ अठहत्तर लाख तिरसठ हजार मात्र) पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान [illegible] चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रति कार्य रु० 0.01 लाख अर्थात कुल ₹ 0.24 लाख (₹ चौबीस हजार [illegible]) व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान [illegible]

[illegible] स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से [illegible] उपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं०:- 1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक [illegible] व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव [illegible] परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया [illegible]

[illegible] मे उल्लिखित दरो का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/[illegible] शिड्यूल आफ रेट मे स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई है की [illegible] [illegible] का अनुमोदन आवश्यक होगा।

[illegible] उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत [illegible] है, स्वीकृत [illegible] से अधिक [illegible] [illegible] प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से व्यय हो रही है तो [illegible] [illegible] करते समय किया जायेगा।

[illegible] से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि से [illegible] [illegible] [illegible] दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय [illegible]

[illegible] मद हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद मे किया जाय [illegible] [illegible] न किया जाय।

[illegible] उक्त 24 कार्यों के सम्बन्ध मे उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 तथा [illegible] [illegible] समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

[illegible] उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० - 2047/XXIV-219(200[illegible]) [illegible] [illegible] निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय [illegible] अनुपालन सहित [illegible] सुनिश्चित किया जायेगा।

[illegible]

-2-

स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित [illegible]
का होगा।

-- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण [illegible]
--27--लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा
[illegible]-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर- 02 नया निर्माण कार्य-24 वृहद निर्माण कार्य
[illegible] डाला जायेगा।

-- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 691/XXVII/(2)/2010 दिनांक [illegible]
में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

प्र[illegible]
(महि[illegible])
अनु स[illegible]

संख्या:- (1)/III(2)/10-18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0-VI तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :--

- महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूं क्षेत्र, लो0नि0वि0 पौड़ी/अल्मोड़ा।
- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।
- गार्ड फुक।

आज्ञा से,
(महिमा)
अनु सचिव

प्रतिलिपि
मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

पृ0 प0 सं0:- 16/ [illegible] (कु)/10 दि0 - 6 [illegible] 2010

प्रतिलिपि [illegible] सहित [illegible] आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
01- मुख्य अभियन्ता [illegible] पौड़ी/अल्मोड़ा
02- (लेखा) [illegible] अधिकारी [illegible]
03- [illegible]
[illegible] लो0नि0वि0 देहरादून।

सं0:- यथोपरि

[illegible]
[illegible]

(7) (5) (13)

संख्या 7326 (1)/III(2)/10-19(रा0स0)/2010 टी0सी0-VI दिनांक 31 दिसम्बर 2010

	जनपद नैनीताल मे देवलचौड-फालादूंगी मोटर मार्ग से चौदनीचौक मे सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1.00	1.60	0.01
	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर मे, नरेन्द्रनगर से ब्लाक चम्बा के ग्राम सभा (घरगाव) मे घोडीगाड से कुआ पानी तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	25.20	0.01
	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर मे मरूड से दनाडा (पट्टी भरपूर) मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	25.20	[illegible]
	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर मे अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	25.20	[illegible]
	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर मे किरोडी से कौट मोटर मार्ग निर्माण	3.00	37.80	0.01
	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर मे हाडीसेरा (जाजल) से शिवपुरी तक अवशेष भाग का विस्तार	4.00	50.40	0.01
	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर मे सिडोन खालर मोटर मार्ग से कुमारकोट तक मोटर मार्ग निर्माण	2.00	25.20	0.01
	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर मे डौर से डौर स्कूल तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.00	12.60	0.01
	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर मे डौर से डौर तलाई तक मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.80	0.01
	योग -		378.63	[illegible]

(कुल [illegible])

आज्ञा से,
([illegible])
अनु सचिव

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
लो0 नि0 वि0 ...
नई टिहरी

पृष्ठांकन सं0 143/100 सी0 -8/11 दि0 21-1-11

प्रतिलिपि अ0 अ0 निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0 ... को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि ... को कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि (प्रा0) ... को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता
लो0 नि0 वि0 ...
नई टिहरी

प्रारुप–6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनाँक 22.06.2016 को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर (एजेन्सी का नाम) के द्वारा अमसारी से हाडीसेरा तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री विजय कुमार वन आरक्षी एवं श्री अरविन्द मैठानी अनुभाग अधिकारी तमियार, राजस्व विभाग की ओर से श्री रविन्द्र नाथ राजस्व उप निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री मकान सिंह मेट, श्री ए0के0 सकलानी कनिष्ठ अभियन्ता व श्री एम0एस0 नेगी सहायक अभियन्ता, अन्य दावेदारों की ओर से श्री.......तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रुप में श्रीमती दर्शनी देवी ग्राम रौन्देली व ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया ।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 150.00(मी0) नाप भूमि.से, 0.00 (मी0) सिविल भूमि से, 0.00 (मी0) वन पंचायत से, 1850.00 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.105 हे0 नाप भूमि 0.00 हे0 सिविल भूमि 1.295 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.295 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर 245 वृक्ष झींगन, बांकली, मन्दारा, रोहणी, साल, बेल, कांगू, छतैन, महुआ, ऑवला, भीमल एवं अमलतास् प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें बॉज एवं बुरॉस के कोई वृक्ष नही है।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 0.00 (मी0) नाप भूमि.से, 0.00 (मी0) सिविल भूमि से, 0.00 (मी0) वन पंचायत से, 2000.00 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.0 हे0 नाप भूमि 0.00 हे0 सिविल भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, 1.400 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.400 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग 300 वृक्ष बांकली,बेल,कोकाट, ऑवला,साल, हल्दू,सैन,जामुन, मन्दार, आम एवं चीड़ प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन अदवाणी कक्ष संख्या 3 से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन 0.3 है एवं इन कक्षों में झींगन, बांकली, मन्दारा, रोहणी, साल, बेल, कांगू, छतैन, महुआ, ऑवला, भीमल एवं अमलतास् प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन 0.30 है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का **GPS** मान 78°22'32.04''**E**, 30°14'15.96''**N** है तथा यह स्थल छोटी बेरनी अमसारी ह0 वाहन मार्ग के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल हाडीसेरा गॉव है जिसका **GPS** मान 78°22'16.74''**E**, 30°14'21.06''**N** है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के **GPS** मान 78°22'17.34''**E**, 30°14'15.06''**N**, 78°22'18.96''**E**, 30°14'22.98''**N**, हैं।

चयनित समरेखन में कुल 92 पौधों को अन्य स्थानन्तरित (**translocate**) किया जाना आवश्यक होगा ।
चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है । चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा । इस समरेखण पर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु नाप भूमि के खेत/ स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका **GPS** मान 78°22'58.05''**E**, 30°14' 24.6''**N** व 78°22'56.5''**E**, 30°14'24.9''**N** हैं।

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर। (मुहर) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0 निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर

(वन विभाग) प्रतिनिधि (मुहर) वन क्षेत्राधिकारी शिवपुरी वन राजि नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि की रेती	(राजस्व विभाग) प्रतिनिधि	(अन्य दावेदार) प्रतिनिधि	(जन प्रतिनिधि) प्रतिनिधि

c/s

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

No 1245/6mg
1/9/16

(15)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-Mail :- dfonnagar-forest-uk@nic.in Tel./Fax :- 0135 – 2442052

पत्रांकः– 467 /12-1 , दिनांक, मुनिकीरेती, 29 / 08 /2016

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नरेन्द्रनगर।

विषय :– जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत आमसारी–हाड़ीसेरा मोटर मार्ग के नव निर्माण ।

सन्दर्भ :– आपका पत्र संख्या–1067/6एम0जी0 दिनांक 04–05–2016।

महोदय,

आपके उपरोक्त विषयक सन्दर्भित प्रत्र के कम में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा राजि अधिकारी शिवपुरी राजि को स्थलीय निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–6621/12–1 दिनांक 13–05–2016 से निर्देशित किया गया था। जिसके कम में राजि अधिकारी शिवपुरी द्वारा इस कार्यालय को स्थलीय संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट प्रस्तुत की गई है जो आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उक्त मोटर मार्ग का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गठित कर नियमानुसार शासन की स्वीकृति हेतु आवेदन करने का कष्ट करें।

संलग्न–संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट :–

(राहुल)
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– 467 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि :– राजि अधिकारी शिवपुरी राजि को उनके पत्र संख्या–129/12–1 दिनांक 19–08–2016 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता I / श्री जोशी

EE
5-9-16

(राहुल)
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

प्रारुप–7

SITE INSPACTION NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from **Executive Engineer Construction Division P.W.D. Narendra Nagar** (for diversion under FCA-1980) of **1.295 ha.** of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of **Amsari-Hadisera Motor road.** The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated ....

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring **1.295 ha.**

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 part-I is unavoidable and is base minimum required for the project.

5.4 Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of. :-

5.5 xx Whether any protecterd archeological/heritage site/defense establishment or any other important monoments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required :-

(a) The user agency has not violated the provisions of forest. (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

(b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.
(नोट– प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहॉं पर प्रस्ताव के सम्बन्ध मे अपनी संस्तुति/टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय)

भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

(Signature)

Place ....
Date ....

Name ....
Designation.............................
Office Seal.

N.B. x state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 hactares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hactares of forest and site inspection report from the conservation of forests is required.

प्रारुप–8

1:50,000 पैमाने की टोपोशीट पर परियोजना

(इस मानचित्र में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)

प्रारुप–9

1:50,000 पैमाने के डिजिटल मानचित्र पर परियोजना, जी0पी0एस0 रीडिंग सहित

(इस डिजिटल मानचित्र में मानचित्र कर्ता सहित प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)

प्रारूप-8 व 9 (19)

डिजिटल मानचित्र – जनपद टिहरी गढवाल में अमसारी से हाड़ीसेरा मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी0)

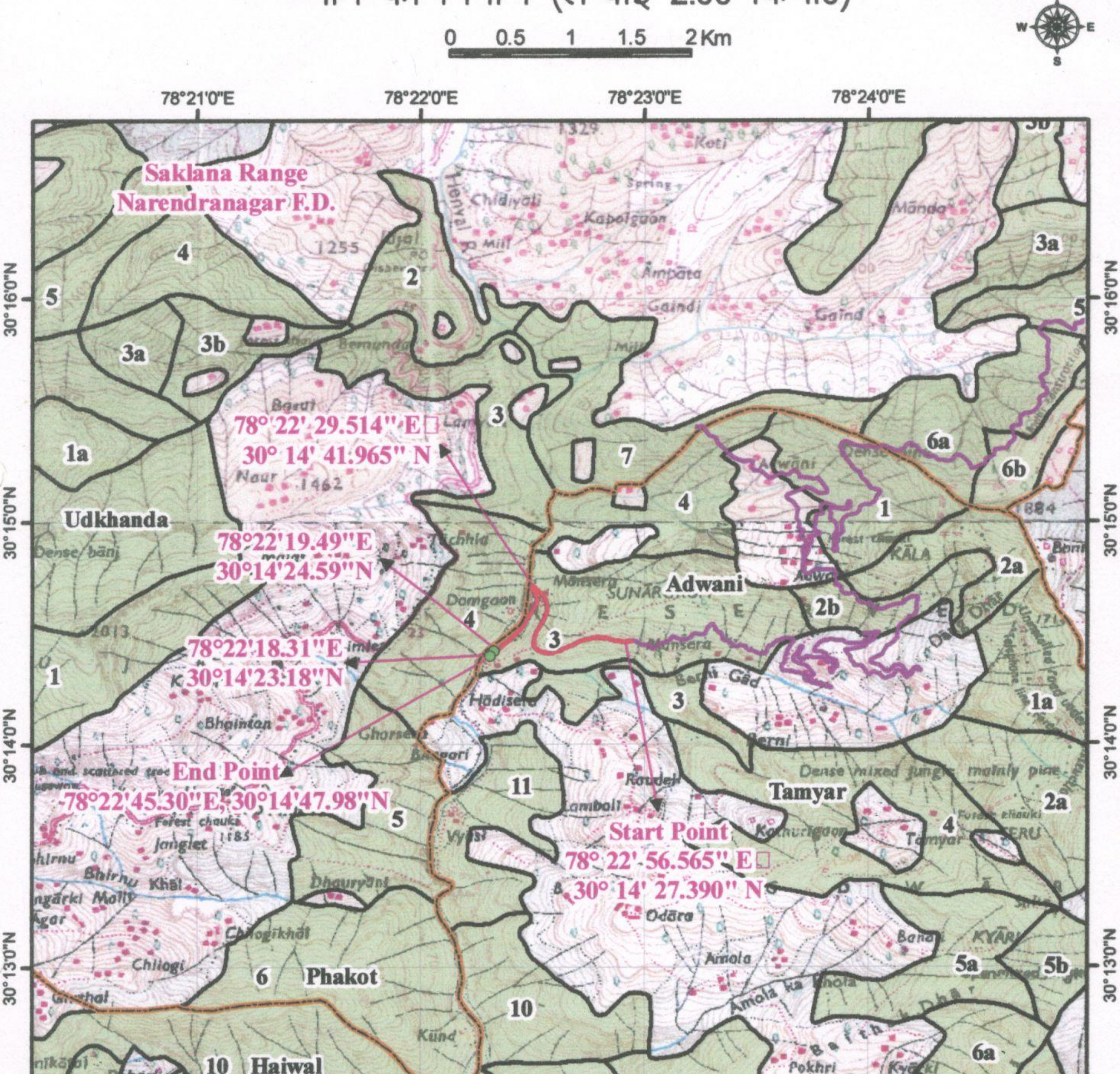

Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Existing Road
- Reserve Forest Boundary
- Range Forest Area
- Range Forest Boundary

Assistant Engineer-III
Construction Division P.W.D.
Narendra Nagar

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
नरेन्द्रनगर

वन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी वन राजि
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

गूगल मानचित्र (.kml file में) पर प्रस्तावित परियोजना

(इस गूगल मानचित्र में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद टिहरी गढवाल में अमसारी से हाड़ीसेरा मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी0)

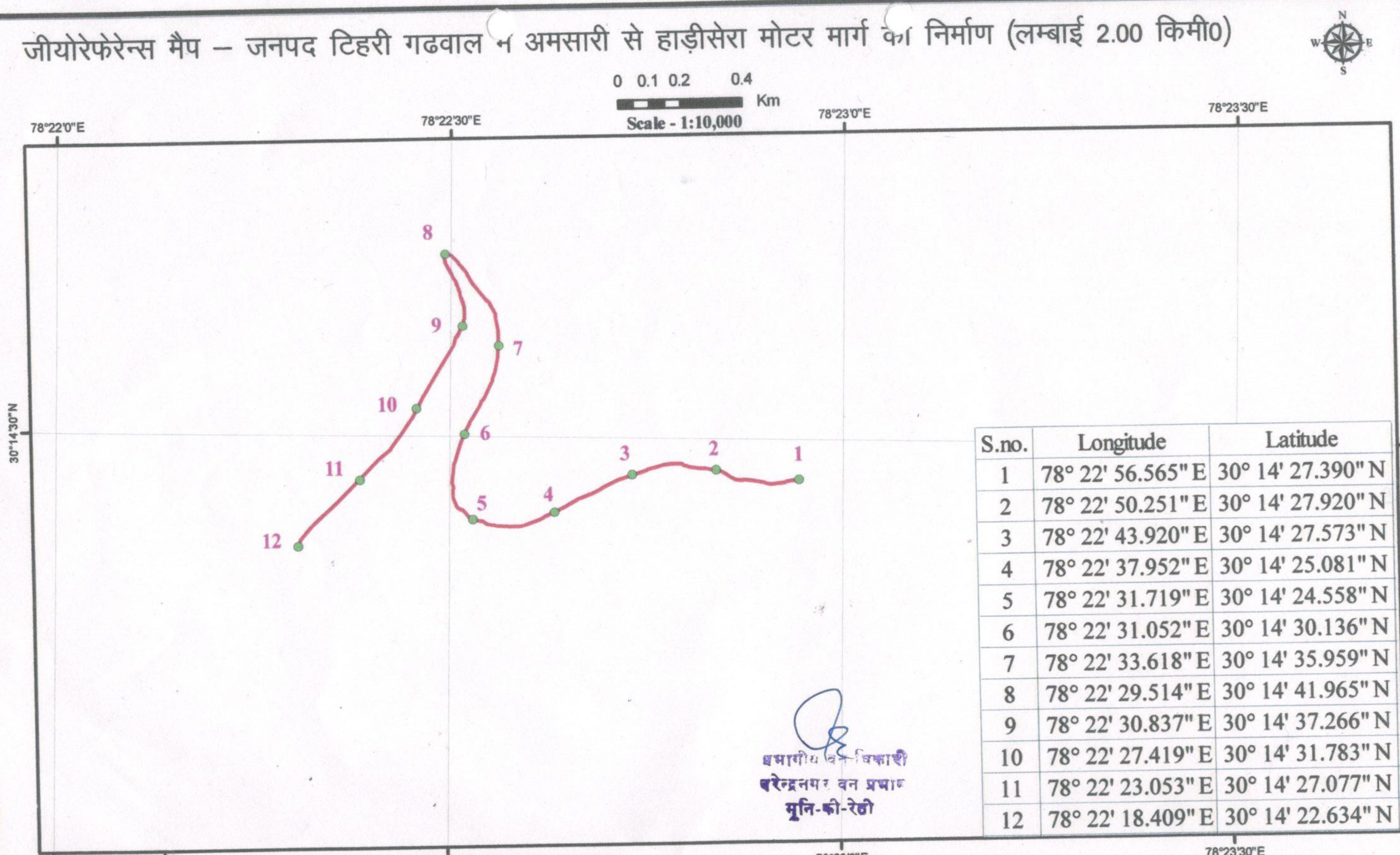

S.no.	Longitude	Latitude
1	78° 22' 56.565" E	30° 14' 27.390" N
2	78° 22' 50.251" E	30° 14' 27.920" N
3	78° 22' 43.920" E	30° 14' 27.573" N
4	78° 22' 37.952" E	30° 14' 25.081" N
5	78° 22' 31.719" E	30° 14' 24.558" N
6	78° 22' 31.052" E	30° 14' 30.136" N
7	78° 22' 33.618" E	30° 14' 35.959" N
8	78° 22' 29.514" E	30° 14' 41.965" N
9	78° 22' 30.837" E	30° 14' 37.266" N
10	78° 22' 27.419" E	30° 14' 31.783" N
11	78° 22' 23.053" E	30° 14' 27.077" N
12	78° 22' 18.409" E	30° 14' 22.634" N

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

Assistant Engineer-III
Construction Division P.W.D.
Narendra Nagar (T.G.)

EE

वन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी वन राजि

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)

प्रारुप–11

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वनभूमि की मॉग का औचित्य एवं विवरण

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु शासनादेश संख्या 7326/111–(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–VI दिनांक 31 दिसम्बर 2010 द्वारा 2.00 कि0मी0 लम्बाई के लिए रु0 25.20 लाख मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है।

इस मार्ग हेतु पूर्व मे छोटी बेरनी–अमसारी हल्का वाहन मार्ग, जो कि अब मोटर मार्ग मे परिवर्तित हो गया है, के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ कर गंगसार गॉव को 1.250 किमी0 मे जोडते हुये हाडीसेरा गंगसार गॉव मार्ग पर मिलाने हेतु प्रस्तावित किया गया था, किन्तु भारत सरकार के द्वारा इस संरेखण पर ग्राम हाडीसेरा प्रत्यक्ष रूप से न जुड़ने के कारण वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत नही किये गये जिस कारण इस मार्ग को निर्मित करने हेतु पुनः दिनांक 22.06.2016 को वन विभाग/राजस्व विभाग के साथ स्थल का संयुक्त निरीक्षण कर एक अन्य संरेखण प्रस्तावित किया गया है जो कि छोटी बेरनी–अमसारी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होता है तथा हाडीसेरा गॉव को 2.00 किमी0 मे जोड़ता है। मार्ग का यह संरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8वॉ वृत्त लोक निर्माण विभाग नई टिहरी के पत्रांक 5081/415सी–8/2016 दिनांक 09.08.2016 के द्वारा स्वीकृत है। इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रारम्भिक 550 मीटर लम्बाई मे आरक्षित वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.385 हे0 एवं उसके उपरान्त 150 मीटर लम्बाई मे नाप भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.105 हे0 तथा अन्तिम 1300 मीटर लम्बाई मे आाक्षित वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.910 हे0 है, इस प्रकार कुल 1.295 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण की आवश्यकता है।

इस मार्ग के नव निर्माण से क्षेत्र के समुचित विकास के साथ–साथ स्थानीय जनता लाभान्वित होगी तथा ग्राम हाडीसेरा गॉव को यातायात की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। मार्ग निर्माण हेतु उक्त प्रस्तावित वन भूमि लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित की जानी आवश्यक एवं न्यूनतम है।

इस मार्ग का संयुक्त निरीक्षण 7.00 मीटर चौड़ाई में पेड़ों की गिनती के साथ प्रस्तुत किया गया, जिसमे कुल **245** वृक्ष आ रहे हैं। इस परियोजना मे बॉज प्रजाति के कोई भी वृक्ष प्रभावित नही हो रहे है। (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।) प्रस्ताव में वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु मार्ग की चौड़ाई 7.00 मीटर ली गयी है। मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूचि निम्न प्रकार है–

क0सं0	ग्राम	कोड	आवादी
1	हाडीसेरा	00433900	166
		योग :–	**166**

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
नरेन्द्रनगर

प्रारुप–12

गूगल मानचित्र

(kml file)

(जी0पी0एस0 सहित वैकल्पिक व प्रस्तावित संरेखण)

(इस गूगल मानचित्र में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)

डिजिटल मानचित्र – जनपद टिहरी गढवाल में अमसारी से हाड़ीसेरा मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी0)

0 0.5 1 1.5 2 Km

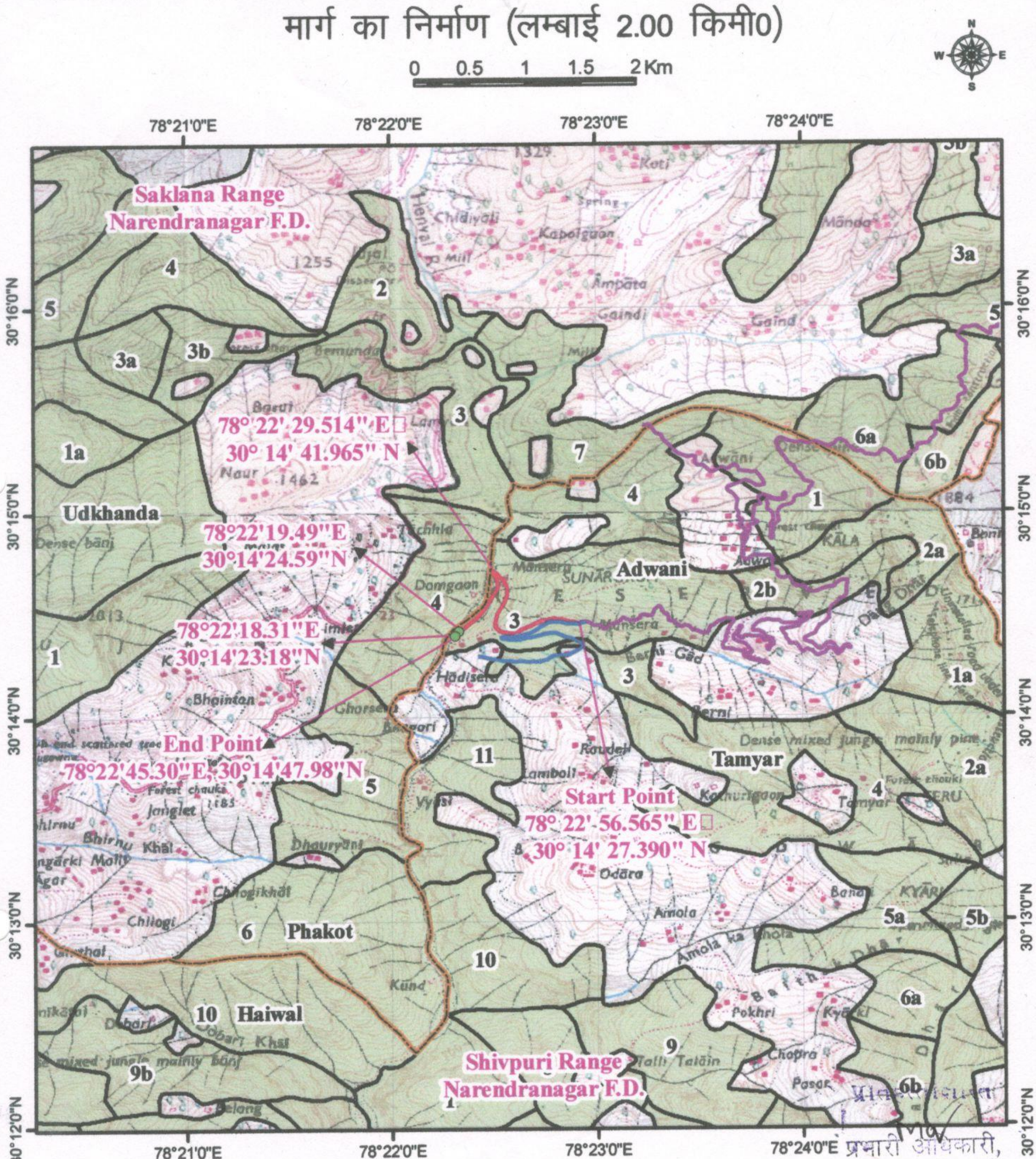

Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Reserve Forest Boundary
- Range Forest Area
- Range Forest Boundary

Assistant Engineer-III
Construction Division P.W.D.
Narendra Nagar

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
नरेन्द्रनगर

वन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी वन राजि
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

Performa for comparison between identified alignments

Sl.No	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
1	Topography	Attached	Attached
2	Length of Road	2.00 Km	2.250 Km
3	Bridging requirement No. and Length	Nil	Nil
4	Geometric		
	(a) Gradients	1:20 Fall	1:20 Fall
	(b) Curves, H.P Bends	01No	0 Nos
5	Existing Means of communication, mule path, jeep, Tracks etc.	Foot Path	Foot Path
6	Right of way, bringing out. construction on account of built up areas, monuments and other structures.	Passing Through E&B and some statches in VHR	Passing Through E&B and some statches in VHR
7	(a) Terrain &Soil Condition.		
	(vi) Cliffs and gorges.(vii) Drainage characteristics of the area including supceptibility to flooding .(viii) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and discends.(ix) Variations extants and types	Being mountaineous terrian drainage characterstic are goog and abnormal damages are not anticipated.	Being mountaineous terrian drainage characterstic are goog and abnormal damages are not anticipated.
8.	Climate Condition:(a) Temperature Monthly max. & min. reading.(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available) .(c) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available) .(d) Wind direction and velocities.(e) Fog Condition.(f) Exposure to sun.(g) Unusual weather condition like cloud brust etc.	(a) Max 32 & Min. 6 (b) Rainfall data are not available, (c) Road not covered by snow (d) data are not available, (e) Fog remains during rainy & winter season. (f) Full alignment is exposed to sun.	(a) Max 32 & Min. 6 (b) Rainfall data are not available, (c) Road not covered by snow (d) data are not available, (e) Fog remains during rainy & winter season. (f) Full alignment is exposed to sun.
9.	Facilities resources. (a) Landing ground. (b) Dropping Zone. (c) Food stuffs. (d) Labour local availability and need for import. (e) Construction material (Timber, Bamboo, Sand, Stone, Shingle etc. extent of their availability and lead involved.	(a) Nil (b) Nil (c) Locally available (d) Locally available (e) Local timber like Chir wood,sand and stone are available	(a) Nil (b) Nil (c) Locally available (d) Locally available (e) Local timber like Chir wood,sand and stone are available
10.	Value of land, agricultural land, Irrigated land, bult up land, forest land etc,	Agricultural- 0.105 Hec Civil- 0.00 Hec R/Forest- 1-295Hec	Agricultural-0.0 Hec Civil-0.00 Hec R/Forest- 1.400 Hec

11.	Approximate Const. Cost.	Rs. 93.20 Lakh.	Rs. 104.85 Lakh.
12.	Access point indicating possibility of induction of equipment.	Nil	Nil
13.	Period required for construction.	06 Months	06 Months
14.	Strategic Consideration.	Nil	Nil
15.	Important villages, towns and markets centers to be connected.	Hadisera Gaon	Hadisera Gaon
16.	Recreational potential.	Nil	Nil
17.	Economic Factors: (a) Population served by the alignment. (b) Agricultures and economic potential of the area.	(a) 166	(a) 166
18.	other major development projects being taken up electric projects etc.	Nil	Nil
19.	(i) Misc. Such as camping sites (ii) Law and other problem (iii) Royalty	Nil	Nil
	(iv) Availability of contractors for collection and carriage of construction material (v) working period available for construction of work.	(IV) Locally available (V) 12Months	(IV) Locally available (V) 12Months
20.	Total No. of trees to be removed .	245	300
21.	Average Density of forest cover .	0.30	0.30
22.	Total No. of Merits		
23.	Total No. of Demerits	Nil	03 (Required More forest land, Contruction Cost and Length)

RECOMMENDATIONS:

Alignment No. (1) Recommended for approval being more economical, useful & technically feasible.

अपर सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

रजि अधिकारी
शिवपुरी रेंज
मुनिकीरेती।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

Note - Signature and approval of the concerned DFO is essential.

परियोजना का नाम:– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित **1.295** हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

रजि अधिकारी
शिवपुरी रजि
मुनिकीरेती।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रारुप–15

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

लैन्ड शेड्यूल
(आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे0)
टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर	शिवपुरी रेंज	आदवानी कक्ष सं0–3	1850.00	7.00	1.295
			योग–	**1850.00**		**1.295**

अपर सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

रजि0 अधिकारी
शिवपुरी रेंज
मुनिकीरेती।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग(से0उप0वन) प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

प्रारुप–15.1

लैन्ड शेड्यूल
(सिविल सोयम / नाप भूमि)

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं0	कुल रकवा	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे0)
सिविल एवं सोयम	टिहरी गढ़वाल	गजा	अदवाणी	–	–	–	–	–
वन पंचायत	टिहरी गढ़वाल	गजा	अदवाणी	–	–	–	–	–
योग वन भूमि						0.000	0.000	0.000
नाप भूमि	टिहरी गढ़वाल	गजा	अदवाणी			150.00	7.00	0.105
कुल योग						150.00		0.105

अपर सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नरेन्द्रनगर

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रारुप–16

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का विवरण।

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे0 में)
1	आरक्षित वन भूमि	1850.00	7.00	1.295
2	सिविल सोयम भूमि	–	–	–
3	वन पंचायत भूमि	–	–	–
4	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)	–	–	–
	वन भूमि का योग	**1850.00**	**7.00**	**1.295**
5	नाप भूमि	150.00	7.00	0.105
	कुल योग–	**2000.00**	**7.00**	**1.400**

अपर सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नरेन्द्रनगर